न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/23 **दायरा दिनांक : 17.02.2025**

उनवान

1. श्याम सिंह आत्मज कालू सिंह, जाति राजपूत
2. कमल सिंह आत्मज कालू सिंह, जाति राजपूत
   निवासीगण बोलिया बुजुर्ग, तहसील पिडावा, जिला झालावाड राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. कान्ता विधवा पत्नी बालचन्द, जाति जैन महाजन
2. ज्योति नाबालिग पुत्री बालचन्द, जाति जैन महाजन
3. हेमा नाबालिग पुत्री बालचन्द, जाति जैन महाजन
4. राहुल नाबालिग पुत्र बालचन्द, जाति जैन महाजन
   नाबालिग की संरक्षक माता कान्ता विधवा पत्नी बालचन्द, जाति जैन महाजन, निवासीगण बोलिया बुजुर्ग, तहसील पिडावा, जिला झालावाड राज0
5. दया चन्द पुत्र धन्नालाल उर्फ पृथ्वीराज, जाति जैन महाजन, निवासी बोलिया बुजुर्ग, तहसील पिडावा, जिला झालावाड राज0
6. रामकन्या बाई विधवा धन्नालाल उर्फ पृथ्वीराज, जाति जैन महाजन, निवासी बोलिया बुजुर्ग, तहसील पिडावा, जिला झालावाड राज0
7. भैरूलाल पुत्र धन्नालाल उर्फ पृथ्वीराज, जाति जैन महाजन, निवासी बोलिया बुजुर्ग, तहसील पिडावा, जिला झालावाड राज0 हाल सिलेगढ़, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राज0
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा, जिला झालावाड राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 (144)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बलराम शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री इकबाल अहमद अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 4 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 19.12.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 71/दावा/2018 निर्णय दिनांक 22.05.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए, 209, 53, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बोलिया बुजुर्ग, तहसील पिडावा की खतोनी संख्या 253 की भूमि खसरा नं. 546 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं. 547 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 550 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं. 551

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं. 552 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 8 बीघा 09 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.05.2013 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.08.2013 से वाद वादीगण स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में अपील सं. 233/2013 एवं 234/2013 पेश की गई जिसके निर्णय दिनांक 12.12.2017 से न्यायालय हाजा द्वारा दोनों अपीलें अपील सं. 233/2013 एवं 234/2013 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.05.2013 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.08.2013 अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 22.05.2024 से प्रतिवादी सं. 3 भैरू लाल पुत्र धन्नालाल उर्फ पृथ्वीराज द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी. सी. को स्वीकार कर तहसीलदार सुनेल का पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु तहरीर जारी की जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.05.2024 विधि, न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट नं. 7 का प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने व वाद के पूर्व की स्थिति कायम रखे जाने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि उक्त भूमि विवादित भूमि पृथ्वीराज उर्फ धन्ना के खाते दर्ज चली आ रही थी। पृथ्वीराज जी ने वसीयत बालचन्द व दया चन्द के पक्ष में दिनांक 06.12.2001 आलेखित की गई। जिसके आधार पर विवादित भूमि बालचन्द व दया चन्द के नाम दर्ज हुई। बालचन्द की मृत्यु के बाद वाद विषयक भूमि कान्ता बाई बेवा बालचन्द, ज्योति, हेमा व राहुल पिसरान बालचन्द नाबालिग संरक्षक माता कान्ता बाई के खाते दर्ज की गई। उक्त खातेदारान ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों दिनांक 06.10.2013 व 18.10.2013 से अपीलांटान को बेचान कर मौके पर कब्जा संभला दिया था तथा उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर उक्त अपील विषयक भूमि अपीलांटान के खाते नियमानुसार दर्ज हो गई जिस पर खरीद की तिथि से आज तक निरन्तर अपीलांटान का कब्जा चला आ रहा है व खाते दर्ज है। इसके बावजूद भी आवेदन धारा 144 सी.पी.सी. स्वीकार करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट नं. 7 का विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा व कब्जा नहीं है। प्रतिवादी रेस्पोडेंट नं. 7 भैरू द्वारा एक दावा खातेदारी का पेश किया गया था जो अदम हाजरी में खारिज हो गया। इस कारण प्रतिवादी रेस्पोडेंट नं. 7 को दावे के पूर्व की स्थिति कायम करवाने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 144 सी. पी. सी. स्वीकार करने व दावे के पूर्व की स्थिति कायम करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी रेस्पोडेंट नं. 3 ने नामान्तरकरण नं. 772 से अपना नाम अंकित करवाया था किन्तु नामान्तरकरण नं. 772 खारिज हो चुका है। इस प्रकार विवादित भूमि में प्रतिवादी रेस्पोडेंट नं. 3 का कोई हक व हिस्सा निहित होने से उसे धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है इसके बावजूद भी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद के पूर्व की स्थिति कायम करने का आदेश

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटान को सुनवाई, जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया है और सरसरी तौर पर प्रतिवादी के कथनों पर विश्वास कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। जो अपास्त होने योग्य है। अपीलांटान अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान नहीं थे। इस कारण उक्त आदेश की अपीलांटान को कोई जानकाकरी नहीं थी। उक्त विवादित भूमि को अपीलांटान ने दिनांक 18.10.2013 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की है तब से भूमि पर अपीलांटान बहैसियत खातेदार टीनेन्ट काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त आदेश से अपीलांटान के अधिकार व हित प्रभावित हो रहे हैं। इस कारण अपीलांटान उक्त आदेश से एग्रीव्ड परसन होने से अपील पेश कर रहे हैं जिसके लिये धारा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में अपीलांटान का नाम खाते की भूमि में से हटा दिया तथा दावे के पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गयी तो अपीलांटान को अपरिमित क्षति होगी तथा अपीलांटान का अपील करना ही बेकार हो जावेगा। अतः अपील पेश कर प्रार्थना है कि अपील अपीलांटान स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.05.2024 को निरस्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 27.12.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि ग्राम बोलिया बुजुर्ग, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड में खसरा नम्बर 546, 547, 550, 551, 552 कुल 5 किता की 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि पृथ्वीराज उर्फ धन्ना के खाते दर्ज चली आ रही थी। पृथ्वीराज की वसीयत बालचन्द व दया चन्द के पक्ष में दिनाक 08.12.2001 आलेखित की गयी। जिस पर रेस्पोडेन्ट 1 ता 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का बाद पेश किया जिसमे रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 उपस्थित नहीं हुआ और अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2013 का दावा डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के खिलाफ रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 ने अपील पेश की जिस पर अपील कर दिनांक 12.12.2017 से स्वीकार कर उक्त निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवायी हेतु उपखण्ड अधिकारी, पिडावा को भेजा गया। यहां पर प्रकरण दिनांक 18.07.2018 से सुनवायी हेतु रखा गया। दौराने दावा दिनांक 31.03.2021 को प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 द्वारा धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.05.2024 को स्वीकार कर वाद दायर के समय के पूर्व की स्थिति

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बहाल किये जाने का आदेश पारित कर दिया। उक्त विवादित भूमि की अपीलान्टान ने दिनांक 18.10.2013 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की दिनांक से भूमि पर अपीलान्टान बहैसियत खातेदार टीनेन्ट काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलान्टान को पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि के ऋण की राशि जमा कराने व उक्त आदेश के बाबत दिनांक 27.12.2024 को जानकारी दी जिस पर न्यायालय में आकर जानकारी कर सम्पूर्ण पत्रावली की नकल लेने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 27.12.2024 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उक्त भूमि विवादित भूमि पृथ्वीराज उर्फ धन्ना के खाते दर्ज चली आ रही थी पृथ्वीराज की ने वसीयत बालचन्द व दया चन्द के पक्ष में दिनाक 06.12.2001 आलेखित की गयी। जिसके आधार पर विवादित भूमि बालचन्द व दया चन्द के नाम दर्ज हुई बालचन्द की मृत्य के बाद बाद विषयक भूमि कान्ता बाई बेवा बालचन्द, ज्योति, हेमा व राहुल पिसरान बालचन्द नाबालिग संरक्षक माता कान्ता बाई के खाते दर्ज की गयी। उक्त खातेदारान ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.10.2014 व 18.10.2013 से अपीलान्ट को बेचान कर मौके पर कब्जा सम्भला दिया तथा उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर उक्त अपील विषयक भूमि अपीलान्टान के खाते नियमानुसार दर्ज हो गयी जिस पर खरीद की तारीख से आज तक निरन्तर अपीलान्टान का कब्जा चला आ रहा है व खाते दर्ज है। इसके बावजूद भी 144 सी पी सी का आवेदन स्वीकार करने में त्रुटि की है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम 7 का विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा व कब्जा नहीं है प्रतिवादी रेस्पांडेन्ट नम्बर 7 भेरू द्वारा एक दावा खातेदारी का पेश किया गया था, जो अदम हाजरी में खारिज हो गया। इस कारण प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 को दावे के पूर्व की स्थिति कायम करवाने का अधिकार नहीं है जबकि वर्णित भूमि में प्रतिवादी रेस्पीडेन्ट नम्बर 3 ने नामान्तरकरण नम्बर 772 से अपना नाम अंकित करवाया था किन्तु नामान्तरकरण नम्बर 772 खारिज हो चुका है इस प्रकार विवादित भूमि में रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 का कोई हक व हिस्सा निहित नही होने से उसे धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है इसके बावजूद भी पूर्व की स्थिति कायम करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अपीलान्टान को सुनवायी, जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया है और सरसरी तौर पर प्रतिवादी के कथनों पर विश्वास कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अपीलान्टान का बाद खरीद ग्राम बोलिया बुजुर्ग, तहसील पिडावा, जिला झालावाड में स्थित आराजी में खरीद के पश्चात् आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज हो जाने के कारण आराजी को खुर्द बुर्द करने की आशंका होने से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है। अपीलान्टान का प्रकरण प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है व सुविधा का संतुलन भी अपीलान्टान के पक्ष में है। रेस्पोडेन्ट क्रम 7. द्वारा गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर आराजी को खुर्द बुर्द कर दिया तो अपीलान्टान को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी। अपीलान्टगण द्वारा अपनी लिखित बहस में वर्णित आराजी को खरीद करना बताया है इस प्रकार रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलान्टगण की अपील को स्वीकार करने व बेचान करने की धमकी देने से अपीलान्टगण की अपील स्वीकार की जाना न्याय हित में आवश्यक है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा दर्ज नाम के आधार पर खुर्द बुर्द कर दिया तो अपीलान्टगण को अपूर्णनीय क्षति होगी व अपीलान्टगण द्वारा अपील करना ही निरर्थक हो जावेगा इस कारण पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सुनवायी का सम्पूर्ण अवसर देकर अपीलान्टगण को बिना पक्षकार बनाये तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय की जानकारी में लाये बिना ही निर्णय पारित किया है जो अपीलान्ट के हितों के विरुद्ध प्रभावशून्य एवं निरस्त होने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट ने धारा 144 सी. पी.सी. का प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नं. 7 भैरूलाल का दावा अदम हाजरी में खारिज हो चुका था। धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नहीं था। अपीलांट ने अपील सही पेश की है। अपील स्वीकार की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटर कम 1 लगायत 4 द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है ग्राम बोलिया बुजुर्ग, तहसील पिडावा की खतोनी संख्या 253 की कुल किता 5 कुल रकबा 8.09 बिस्वा आराजी के खातेदार पृथ्वीराज उर्फ धन्नालाल थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। पृथ्वीराज के 4 पुत्र कमशः कालूलाल, भैरूलाल प्रतिवादी कम 3, दयाचन्द प्रतिवादी कम 1 एवं बालचन्द (फौत) है। कालूलाल को शंकरलालजी के यहा गोद दे दिया गया था एवं कालूलाल को शंकरलाल की सम्पत्ति प्राप्त होने से वादग्रस्त आराजी में कालूलाल का कोई भी हिस्सा नहीं है। भैरूलाल प्रतिवादी नं. 3 ने अपने पिता की खातेदारी की बोलिया बुजुर्ग की भूमि खसरा नं. 13 रकबा 9.11 बीघा अपने पिता के जीवनकाल में पारस्परिक बंटवारे के तहत प्राप्त कर बालसिंह पुत्र भेरूसिंह राजपूत को बेचान कर कब्जा संभला दिया एवं बेचान की सम्पूर्ण राशि प्रतिवादी कम 3 ने प्राप्त कर ली। पृथ्वीराज ने अपनी अंतिम वसीयत दिनांक 06.12.2001 को बालचन्द और दयाचन्द के पक्ष में की थी। इस कारण बालचन्द और दयाचन्द वादग्रस्त आराजी के खातेदार है। बालचन्द की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस वादीगण है। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी नं. 1 का 1/2 हिस्सा है तथा वादीगण 1/2 हिस्से पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है।

भैरूलाल प्रतिवादी कम 3 ने वादग्रस्त आराजी के खातेदार पृथ्वीराज उर्फ धन्नालाल की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत से साजिश कर दिनांक 12.07.2007 को फोती इंतकाल अपने व अन्य के नाम तस्दीक करवा कर अपना 1/4 हिस्सा दर्ज करवाया लिया जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर ग्राम बोलिया बुजुर्ग की खाता संख्या 253 कुल किता 5 कुल रकबा 8.09 बीघा आराजी का कानून सम्मत बंटवारा कर वादीगण को 1/2 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर बंटवारा कर अलग खाता कायमो की डिक्री फरमायी जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.06.2013 को दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारंभिक डिक्री जारी है और दिनांक 05.08.2013 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट प्रतिवादी क्रम 3 भैरूलाल द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश की। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 12.12.2017 से अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 12.12.2017 के अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 3 भैरूलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी. को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.05.2024 को स्वीकार करते हुए तहसीलदार सुनेल को पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु तहरीर जारी करने के आदेश दिये गये, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट राम सिंह, कमल सिंह पुत्रान कालू सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पर यह न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार संदर्भित प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2013 को अंतिम डिक्री जारी की गई। अंतिम डिक्री जारी होने के पश्चात वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 4 द्वारा अपने हिस्से की 1/2 आराजी का बेचान दिनांक 18.10.2013 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलांट क्रम 1 के पक्ष में किया गया तथा प्रतिवादी रेस्पोडेंट क्रम 5 द्वारा अपने हिस्से की 1/2 आराजी का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.10.2013 को अपीलांट क्रम 2 के पक्ष में किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.05.2013 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.08.2013 की अपील प्रतिवादी क्रम 3 भैरूलाल द्वारा न्यायालय हाजा में पेश करने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपील दिनांक 22.10.2013 को दायर की गई परन्तु इससे पूर्व ही विवादित आराजी का बेचान रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 5 द्वारा अपीलांट के पक्ष में किया जा चुका था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 603 एवं 55 के अनुसार विवादित आराजी अपीलांट के नाम दर्ज होने से अपीलांट अपीलाधीन निर्णय में हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.05.2013 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.08.2013 के विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 3 भैरूलाल द्वारा न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.12.2017 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय व अंतिम डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट भैरूलाल को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर, तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु दर्ज करने पर भैरूलाल द्वारा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.05.2013 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 08.08.2013 से पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु धारा 144 व 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अन्य पक्षकारान के उपस्थित नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.05.2024 को प्रतिवादी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सं. 3 भैरूलाल के अधिवक्ता की बहस सुनकर प्रतिवादी सं. 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी. को स्वीकार कर तहसीलदार सुनेल को पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु तहरीर जारी करने का आदेश पारित किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अपने पूर्व निर्णय दिनांक 12.12.2017 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.05.2013 तथा निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.08.2013 को खारिज किया जा चुका है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 144 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु जो निर्णय पारित किया गया उसमें कानूनन कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होने के कारण हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आर्डर 1, नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर विधिवत कार्यवाही करते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के पश्चात प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.02.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/12/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा